

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठारह'

[10/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 4598]

आवंशिकित 598 क्रमांक 4598
धानसीरा विद्युत - एनएचडी इन्फ्रान्फ्रा स्ट्रक्चर
सदन से उत्तर देते का दिनांक 10/3/17

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2013

क्रमांक एफ-5-15/2011/तेरह : स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं पर दिनांक 28 फरवरी, 2013 की तिथि में लंबित देयकों में छूट के संबंध में राज्य शासन ने एतद्वारा निर्णय लिया है कि यदि विद्युत वितरण कंपनियां स्थाई कृषि उपभोक्ताओं पर लगने वाले सरचार्ज को दिनांक 28.02.2013 की स्थिति में स्थिर कर एवं अवशेष मूल राशि को स्थिर कर इसकी वसूली प्रतिवर्ष दो समान किश्तों में आगामी 5 वर्षों में करने पर सहमत हो तो स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा। इस हेतु विद्युत वितरण कंपनियां उपभोक्ता से वसूल की गई राशि के बराबर अनुदान राज्य शासन से लेने की पात्र होगी। उपभोक्ता चाहे तो यह बकाया राशि 10 से कम किश्तों में जमा कर सकता है और तदनुसार ही विद्युत वितरण कंपनियां राज्य शासन का अंश लेने के लिए पात्र होगी।

राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी राशि का मासिक भुगतान किया जायेगा। इस हेतु विद्युत वितरण कंपनियां मासिक देयकों के समुचित दरस्तावेज सब्सिडी क्लेम करने हेतु म0प्र0 पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग
भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2013

पृ0कमांक एफ 5-15/2011/तेरह
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म0प्र0 पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग